झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022

झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1306 दिनांक 14.11.2002 द्वारा अंगीकृत बिहार एवं उड़िसा उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखंड अधिनियम II, 1915) को झारखंड राज्य में लागू एवं प्रवर्तन करने के लिए संशोधन हेतु विधेयक

प्रस्तावना– झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 का सृजन संविधान के गठन के पूर्व हुआ है। अद्यतन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों तथा अवैध मदिरा के बढ़ते दुरूपयोग को दृष्टिपथ रखते हुए राजस्व संवर्द्धन के उद्देश्य से झारखंड उत्पाद अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए भयोपरक दण्डों को उपबंध करना, उड़नदस्तों का गठन करना एवं गंभीर प्रकृति के अपराधों को गैर जमानतीय करना आवश्यक है। साथ ही राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संचालित उपक्रम, झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन की स्थिति में प्लेसमेंट एजेन्सी एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मियों द्वारा की जाने वाली संभावित अनियमितताओं के मद्देनजर केवल उन्हीं व्यक्तियों को आरोपित किया जाना आवश्यक है, जिनके द्वारा अनियमितता/अवैधानिक कार्य किया गया है। इस हेतु JSBCL प्रबंधन से जुड़े कर्मियों/पदाधिकारियों को सदभावपूर्ण कृत्य (Bonafide Act) के लिए विधि सम्मत संरक्षण दिया जाना समीचीन है।

अतः उक्त के आलोक में विद्यमान एवं अंगीकृत वर्त्तमान झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखंड अधिनियम, II, 1915) यथासंशोधित एवं झारखंड उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2015 (झारखंड अधिनियम, 15, 2015) में संशोधन करना आवश्यक है। कतिपय प्रावधानों के संशोधन हेतु विधेयक –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा आरम्भ –**

(i) यह **"झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2022"** कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की विद्यमान धारा–7 के साथ नई उपधारा 7(3) का अन्तःस्थापन– अधिनियम की विद्यमान धारा–7 के साथ निम्नलिखित नई उपधारा–7(3) अन्तःस्थापित की जायेगी, यथा धारा 7(3) उड़नदस्तों की स्थापना –**

(क) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उत्पाद राजस्व के अभिकथित या संदिग्ध अपवंचन के किसी भी मामले का या इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के अभिकथित या संदिग्ध उल्लंघन के किसी भी मामले का अन्वेषण करने के लिए उड़नदस्तों की स्थापना कर सकेगी और उस अधिसूचना में उस क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करेगी जिस पर कि उड़नदस्ता अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

(ख) उपधारा (क) के अधीन स्थापित किये गये उड़नदस्ते में उत्पाद पदाधिकारी तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार, समय–समय पर, उसके लिए नियुक्त करे, सम्मिलित होंगे।

(ग) उड़नदस्ते के लिए नियुक्त किए गए उत्पाद पदाधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो कि धारा 7 के अधीन प्रदत्त या अधिरोपित किए गये हैं।

3. **झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की विद्यमान धारा–47A में निम्न प्रावधान का अन्तःस्थापनः– अधिनियम की विद्यमान धारा–47A के अन्त में निम्न प्रावधान अन्तःस्थापित किया जाता है :–**

"परन्तु राज्य शासन के नियंत्रणाधीन निगम, द्वारा संचालित अनुज्ञप्तियों के मामले में, नियत क्रम में उनके द्वारा अधिकृत एजेंसी एवं नियुक्त कर्मचारी, अवैधानिक कृत्य के लिए उत्तरदायी होंगे। उक्त अवैधानिक कृत्य का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, जिसपर अपराध अधिरोपित किया गया हो, परंतु यह भी कि अनुसंधान के दौरान अन्य कोई व्यक्ति/लोक सेवक, जिनके अवैधानिक कृत्य का मामला संज्ञान में आता है, तो उनके मामले में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत आरोप अधिरोपित किया जा सकेगा"।

4. **झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की वर्तमान धारा–52 (मदिरा के अपमिश्रण के लिए दण्ड) में संशोधन एवं धारा– 52–'क' का अंतःस्थापनः–** अधिनियम की विद्यमान धारा 52 में संशोधन निम्नवत किया जाता है, यथा–

<u>धारा– 52</u>– जो कोई अपने द्वारा विक्रय की गई, विनिर्मित या कब्जे में रखी गई किसी मदिरा में कोई हानिकारक औषधि या कोई विजातीय घटक या अधिनियम की धारा 90 के खण्ड (9) के उपखण्ड (i) के द्वारा प्रतिषिद्ध कोई सामग्री मिश्रित करे या मिश्रित करने दे जिससे, मानव को अपंगता, गम्भीर उपहति या मृत्यु कारित होना सम्भाव्य हो तो वह–

(क) यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो, तो वह दस वर्ष तक के कारावास और इतने जुर्माने से जिसकी रकम दस लाख रूपये तक हो सकेगी एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 52(ड.) में वर्णित एवं निर्धारित मुआवजा की राशि से दण्डित किया जायेगा।

(ख) यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को गम्भीर उपहति हो, तो वह दस वर्ष तक के कारावास और इतने जुर्माने से जिसकी रकम पाँच लाख रूपये तक हो सकेगी एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 52(ड.) में वर्णित एवं निर्धारित मुआवजा की राशि से दण्डित किया जायेगा।

(ग) यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की परिणामिक क्षति कारित हो, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी एवं इतने जुर्माने से जिसकी रकम 2.50 लाख

रूपये तक हो सकेगी एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 52(ड.) में वर्णित एवं निर्धारित मुआवजा की राशि से दण्डित किया जायेगा।

(घ) यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को कोई क्षति कारित न हो, तो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी और इतने जुर्माने से जिसकी रकम एक लाख रूपये तक हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा।

(ड.) अवैध/नकली/मिलावटी मदिरा के सेवन के फलस्वरूप, जनित निःशक्तता, गंभीर उपहति या गंभीर रूप से जख्मी होने की स्थिति में दोषी व्यक्ति द्वारा पाँच लाख रूपये तक एवं उक्त मदिरा के सेवन से मृत्यु की स्थिति में दस लाख रूपये तक की क्षतिपूर्ति का भुगतान जैसा कि न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया जाए, पीड़ित को किया जायेगा।

अगर दोषी, पीड़ित को न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजा का भुगतान नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में कानून के विहित प्रक्रिया द्वारा अपराधी के चल या अचल सम्पत्ति से उसकी वसूली की जा सकेगी।

(च) "राज्य शासन के नियंत्रणाधीन निगम, द्वारा संचालित अनुज्ञप्तियों के मामले में, नियत् क्रम में उनके द्वारा अधिकृत एजेंसी एवं नियुक्त कर्मचारी, अवैधानिक कृत्य के लिए उत्तरदायी होंगे। उक्त अवैधानिक कृत्य का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, जिसपर अपराध अधिरोपित किया गया हो, परंतु यह भी कि अनुसंधान के दौरान अन्य कोई व्यक्ति/लोक सेवक, जिनके अवैधानिक कृत्य का मामला संज्ञान में आता है, तो उनके मामले में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत आरोप अधिरोपित किया जा सकेगा"।

धारा– 52-'क' मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, बिक्री एवं कब्जा में रखेगा, आदि के लिए दण्ड– जो कोई मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त शराब का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, उसे अपने कब्जे में रखेगा, उसे बोतलों में भरेगा या बेचेगा या बिक्री करने के लिए प्रवृत्त होगा, जिससे, मानव को अपंगता, गम्भीर उपहति या मृत्यु कारित होना सम्भाव्य हो तो उसे धारा–52 (क) से (ड़) में वर्णित शास्तियों से दण्डित किया जायेगा।

व्याख्या :– इस धारा के प्रयोजनार्थ "गम्भीर उपहति" शब्द का तात्पर्य वही होगा जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 320 में वर्णित है।

5. **झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की विद्यमान धारा– 53 {लाइसेंस प्राप्त विनिर्माता या विक्रेता अथवा उसके सेवक द्वारा कपट (Fraud) के लिए शास्ति} में निम्न प्रावधान का अन्तःस्थापन :–** अधिनियम की विद्यमान धारा–53 के अन्त में निम्न प्रावधान अन्तःस्थापित किया जाता है :–

"परन्तु राज्य शासन के नियंत्रणाधीन निगम, द्वारा संचालित अनुज्ञप्तियों के मामले में, नियत क्रम में उनके द्वारा अधिकृत एजेंसी एवं नियुक्त कर्मचारी, अवैधानिक कृत्य के लिए उत्तरदायी होंगे। उक्त अवैधानिक कृत्य का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, जिसपर अपराध

अधिरोपित किया गया हो, परंतु यह भी कि अनुसंधान के दौरान अन्य किसी व्यक्ति/लोक सेवक, जिनके अवैधानिक कृत्य का मामला संज्ञान में आता है, तो उनके मामले में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत आरोप अधिरोपित किया जा सकेगा''।

6. **झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की विद्यमान धारा–54 (लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं अथवा उसके सेवकों के कतिपय विधि विरूद्ध कार्यो के लिए शास्तियाँ) में निम्न प्रावधान का अन्तःस्थापनः–** अधिनियम की विद्यमान धारा–54 के अन्त में निम्न प्रावधान अन्तःस्थापित किया जाता है :–

''परन्तु राज्य शासन के नियंत्रणाधीन निगम, द्वारा संचालित अनुज्ञप्तियों के मामले में, नियत क्रम में उनके द्वारा अधिकृत एजेंसी एवं नियुक्त कर्मचारी, अवैधानिक कृत्य के लिए उत्तरदायी होंगे। उक्त अवैधानिक कृत्य का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, जिसपर अपराध अधिरोपित किया गया हो, परंतु यह भी कि अनुसंधान के दौरान अन्य किसी व्यक्ति/लोक सेवक, जिनके अवैधानिक कृत्य का मामला संज्ञान में आता है, तो उनके मामले में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत आरोप अधिरोपित किया जा सकेगा''।

7. **झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की विद्यमान धारा–55 के अंत में नई धारा– 55–'क' 55–'ख', 55–'ग', 55–'घ', 55–'ड.' एवं 55–'च' का अन्तःस्थापन :–**

– धारा 55–'क'– किसी स्थान को सामान्य मदिरा पान–गृह के रूप में खोलने, रखने या उपयोग में लाने के लिए या किसी भी ऐसे स्थान के देख–रेख उसका प्रबंध या नियंत्रण रखने के लिए या ऐसे किसी स्थान के कारोबार का संचालन करने की सहायता करने के लिए शास्ति– जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम, जारी की गई किसी अधिसूचना या दिये गये किसी आदेश के या इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, परमिट या पास के उल्लंघन में–

(क) किसी स्थान को सामान्य मदिरा पान–गृह के रूप में खोलेगा, रखेगा या उपयोग में लायेगा, या

(ख) सामान्य मदिरा पान–गृह के रूप में खोले गये, रखे गये या उपयोग में लाये गये किसी स्थान की देख-रेख या उसका प्रबंध या नियंत्रण रखेगा या ऐसे स्थान का कारोबार का संचालन करने में किसी भी रीति में सहायता करेगा,

''वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो पाँच हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा और पश्चातवर्त्ती अपराध कारित करने के लिए, वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा''।

– धारा 55–'ख' मदिरा पान हेतु स्वीकृत अनुज्ञप्ति परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य मदिरा पान–गृह में मत्त पाये जाने के लिए या मदिरा पान करने के प्रयोजन के लिए मदिरा के साथ पाये जाने के लिए शास्ति– जो कोई इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम, जारी की गई अधिसूचना, या दिये गये किसी आदेश के या इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, परमिट या पास के उल्लंघन में, मदिरा पान हेतु स्वीकृत अनुज्ञप्ति परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य मदिरा पान–गृह में मत्त पाया जाये या मदिरा पान करता हुआ पाया जायेगा या मदिरा पान करने के प्रयोजन से मदिरा के साथ वहाँ उपस्थित पाया जायेगा **वह ऐसे जुर्माने से, जो पाँच हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा** और किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो, किसी मदिरा पान हेतु स्वीकृत अनुज्ञप्ति परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य मदिरा पान–गृह में उस समय पाया जाएगा जबकि वहाँ मदिरा पान चल रहा हो, जबतक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि वह वहाँ मदिरा पान करने के प्रयोजन से उपस्थित था।

– धारा 55–'ग'– किसी स्थान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा अपराध, जो धारा 47, धारा 49, धारा 55, धारा 55–'क' एवं 55–'ख' के अधीन दंडनीय है, किये जाने हेतु उपयोग में लाये जाने देने के लिए शास्ति– जो कोई किसी स्थान का स्वामी होते हुए या उसका उपयोग या देख-रेख या प्रबंध या नियंत्रण रखते हुए, उस स्थान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा अपराध, जो कि धारा 47, धारा 49, या धारा 55 या धारा 55–'क' एवं 55–'ख' के अधीन दंडनीय है, किये जाने हेतु जानते हुए उपयोग में लाये जाने देगा, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस (10) हजार रूपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो बीस (20) हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा। पश्चातवर्त्ती अपराध के लिए, वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो रू0 20000/– (बीस हजार रूपये) से कम का नहीं होगा किन्तु जो रू0 50000/– (पचास हजार रूपये) तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा''।

– धारा 55–'घ'– धारा 47 या 55 के अधीन दंडनीय अपराधों को करने से अलग रहने के लिए बंध–पत्र का निष्पादन–

(क) जब कभी कोई व्यक्ति धारा–47 या धारा–55 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोष-सिद्धि ठहराया जाता है एवं दोष-सिद्धि ठहराने वाले मजिस्ट्रेट का यह मत है कि ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा करना आवश्यक है कि वह उन धाराओं के अधीन दंडनीय अपराधों को करने से अलग रहने के लिए एक बंध–पत्र निष्पादित करे, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति पर दंडादेश पारित करते समय यह आदेश कर सकेगा कि वह तीन वर्ष से अनाधिक की ऐसी कालावधि के दौरान जैसा वह निर्दिष्ट करे, ऐसे अपराध को करने

से प्रविरत रहने के लिए उसकी आय के अनुपात के अनुसार राशि का प्रतिभूतिओं सहित या रहित (With or without Securities) एक बंध–पत्र निष्पादित करें।

(ख) **बन्ध–पत्र का प्रारूप और ऐसे बंध–पत्र से संबद्ध समस्त विषयों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों का लागू होना–** बंध-पत्र द्वितीय अनुसूची में अन्तर्विष्ट प्रारूप में होगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्याक–2) के उपबंध जहाँ तक वे लागू होते है, ऐसे बंध–पत्र से संबद्ध समस्त विषयों को उसी प्रकार लागू होंगे, मानो वह शान्ति बनाये रखने के लिए उस संहिता कि धारा 106 के अधीन निष्पादित किये जाने के लिए आदेशित बंध–पत्र है।

(ग) **परिस्थितियाँ जिनमें बंध–पत्र शून्य होगा–** यदि अपील में या अन्यथा दोष-सिद्धी अपास्त कर दी जाए, तो इस प्रकार निष्पादित बंध–पत्र शून्य हो जाएगा।

(घ) **अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय की आदेश करने की शक्ति–** इस धारा के अधीन, किसी अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा, जबकि वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, भी आदेश किया जा सकेगा।

– धारा 55–'ड.'–मजिस्ट्रेट का किसी व्यक्ति को यह कारण बताने के लिए अपेक्षित करना कि सद्व्यवहार के लिए बंध–पत्र निष्पादित करने के लिए क्यों न आदेशित किया जाए–

(क) जब कभी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किये गये प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट को यह सूचना प्राप्त होती है कि उसकी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 47 या धारा 55 के अधीन दण्डनीय अपराध को अभ्यांसिक/भय मुक्त/निडर रूप से करता है, या करने का प्रयत्न करता है, या उसके किये जाने का दुष्प्रेरण करता है तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकेगा कि क्यों न उसे तीन वर्ष से अनाधिक ऐसी कालावधि के लिए, जैसा मजिस्ट्रेट निर्देशित करें, अपने सद्व्यवहार हेतु प्रतिभूतिओं सहित बंध–पत्र (Bond with surities) निष्पादित करने के लिए आदेशित किया जाए।

(ख) **उपधारा (क) के अधीन कार्यवाही में दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंध का लागू होना**–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्याक–2) के उपबंध जहाँ तक वे लागू होते हैं उपधारा (क) के अधीन किन्हीं भी कार्यवाहियों को उसी प्रकार लागू होंगे, मानो कि उसमें निर्देशित बंध–पत्र उस संहिता की धारा 110 के अधीन निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित बंध-पत्र है।

– धारा 55–'च'– सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान या मद्यपान कर उत्पात के लिए शास्ति –

(क) **सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान के लिए शास्ति–** जो कोई मद्यपान हेतु अनुज्ञप्त परिसर के अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों जैसे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, स्नान घाट, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन तथा आम रास्ता आदि में मदिरा पान करते हुए या नशे आदि में चूर पाया जाता है तो उसे जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के लिए एक हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु 5 (पाँच) हजार रूपये तक का हो सकेगा तथा अपराध के पुनरावृत्त किए जाने

की दशा में, जुर्माने से जो 5 (पाँच) हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो 10 (दस) हजार रूपये तक का हो सकेगा तथा तीन मास के कारावास से दण्डित किया जायेगा।

(ख) **सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान कर उत्पात करने के लिए शास्ति–** जो कोई मद्यपान हेतु अनुज्ञप्त परिसर, अनुज्ञप्त परिसर के अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों जैसे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, स्नान घाट, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, आम रास्ता आदि में मदिरा पान करने के पश्चात उत्पात करते हुए पाया जाता है तो उसे जुर्माना से, जो दस हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये तक का हो सकेगा तथा तीन मास के कारावास से दण्डित किया जायेगा।

8. **झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा–56 (केमिस्ट की दुकान आदि में उपभोग के लिए शास्ति/दण्ड) में संशोधन :–** अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) में पाँच हजार रूपये शब्द समूह के स्थान में दस हजार रूपये शब्द समूह और अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में एक हजार रूपये शब्द समूहों के स्थान में पाँच हजार रूपये समूह प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

9. **झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की विद्यमान धारा–57 (अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवक के कतिपय कृत्यों के लिए दण्ड) में निम्न प्रावधान का अन्तःस्थापन :–** अधिनियम की विद्यमान धारा–57 के अन्त में निम्न प्रावधान अन्तःस्थापित किया जाता है–

"परन्तु राज्य शासन के नियंत्रणाधीन निगम, द्वारा संचालित अनुज्ञप्तियों के मामले में, नियत क्रम में उनके द्वारा अधिकृत एजेंसी एवं नियुक्त कर्मचारी, अवैधानिक कृत्य के लिए उत्तरदायी होंगे। उक्त अवैधानिक कृत्य का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, जिसपर अपराध अधिरोपित किया गया हो, परंतु यह भी कि अनुसंधान के दौरान अन्य किसी व्यक्ति/लोक सेवक, जिनके अवैधानिक कृत्य का मामला संज्ञान में आता है, तो उनके मामले में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत आरोप अधिरोपित किया जा सकेगा"।

10. **झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की विद्यमान धारा–58 (किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, विक्रय या कब्जा) के अन्त में धारा 58 (3) का अन्तःस्थापनः–** अधिनियम की धारा 58 के अन्त में धारा 58 (3) के रूप में निम्न प्रावधान अन्तःस्थापित किया जाता है :–

<u>धारा– 58(3)</u>" परन्तु राज्य शासन के नियंत्रणाधीन निगम, द्वारा संचालित अनुज्ञप्तियों के मामले में, नियत क्रम में उनके द्वारा अधिकृत एजेंसी एवं नियुक्त कर्मचारी, अवैधानिक कृत्य के लिए उत्तरदायी होंगे। उक्त अवैधानिक कृत्य का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, जिसपर अपराध अधिरोपित किया गया हो, परंतु यह भी कि अनुसंधान के दौरान अन्य किसी व्यक्ति/लोक सेवक, जिनके अवैधानिक कृत्य का मामला संज्ञान में आता है, तो उनके मामले में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत आरोप अधिरोपित किया जा सकेगा"।

11. **झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की विद्यमान धारा–59 (अनुज्ञप्तिधारी का उनके सेवकों के कृत्यों के लिए आपराधिक दायित्व) में निम्न प्रावधान का अन्तःस्थापन :–** अधिनियम की विद्यमान धारा–59 के अन्त में निम्न प्रावधान अन्तःस्थापित किया जाता है :–

"परन्तु राज्य शासन के नियंत्रणाधीन निगम, द्वारा संचालित अनुज्ञप्तियों के मामले में, नियत क्रम में उनके द्वारा अधिकृत एजेंसी एवं नियुक्त कर्मचारी, अवैधानिक कृत्य के लिए उत्तरदायी होंगे। उक्त अवैधानिक कृत्य का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, जिसपर अपराध अधिरोपित किया गया हो, परंतु यह भी कि अनुसंधान के दौरान अन्य कोई व्यक्ति/लोक सेवक, जिनके अवैधानिक कृत्य का मामला संज्ञान में आता है, तो उनके मामले में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत आरोप अधिरोपित किया जा सकेगा"।

12. **झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा–62 (उन अपराधों के लिए शास्ति/दण्ड, जो अन्यथा दण्डनीय न हो) में संशोधनः–** अधिनियम की धारा–62 में संशोधन निम्नवत किया जाता है– जो कोई किसी भी ऐसे कार्य या जान-बुझकर किसी ऐसे गतिविधि का, जोकि इस अधिनियम के उसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम, जारी की गई किसी भी अधिसूचना या दिये गये किसी आदेश के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के उल्लंघन में किया गया हो, और जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यथा उपबंध न हो, दोषी हो, **वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।**

"परन्तु राज्य शासन के नियंत्रणाधीन निगम, द्वारा संचालित अनुज्ञप्तियों के मामले में, नियत क्रम में उनके द्वारा अधिकृत एजेंसी एवं नियुक्त कर्मचारी, अवैधानिक कृत्य के लिए उत्तरदायी होंगे। उक्त अवैधानिक कृत्य का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, जिसपर अपराध अधिरोपित किया गया हो, परंतु यह भी कि अनुसंधान के दौरान अन्य कोई व्यक्ति/लोक सेवक, जिनके अवैधानिक कृत्य का मामला संज्ञान में आता है, तो उनके मामले में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत आरोप अधिरोपित किया जा सकेगा"।

13. **झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की विद्यमान धारा–64 (अपराध करने के प्रयत्न के लिए शास्ति) के अन्त में निम्न प्रावधान का अन्तःस्थापनः–** अधिनियम की संशाधित धारा 64 के अन्त में निम्न प्रावधान अन्तःस्थापित किया जाता है, यथा–

"परन्तु राज्य शासन के नियंत्रणाधीन निगम, द्वारा संचालित अनुज्ञप्तियों के मामले में, नियत क्रम में उनके द्वारा अधिकृत एजेंसी एवं नियुक्त कर्मचारी, अवैधानिक कृत्य के लिए उत्तरदायी होंगे। उक्त अवैधानिक कृत्य का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, जिसपर अपराध अधिरोपित किया गया हो, परंतु यह भी कि अनुसंधान के दौरान अन्य कोई व्यक्ति/लोक सेवक, जिनके अवैधानिक कृत्य का मामला संज्ञान में आता है, तो उनके मामले में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत आरोप अधिरोपित किया जा सकेगा"।

14. **झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की वर्त्तमान धारा–66 (अधिहरण योग्य वस्तुएं) में संशोधन :–** अधिनियम की धारा– 66 में संशोधन निम्नवत किया जाता है, यथा–

धारा–66(2) में अंकित वाक्य "shall likewise be liable to confiscation" के उपरान्त एवं अंकित Proviso के पहले निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा–

साथ ही यह कि उपरोक्त वर्णित वाहन, कार्ट, जलयान, रॉफ्ट अथवा परिवहन के अन्य साधन को बॉण्ड अथवा स्यूरिटी पर विमुक्त नहीं किया जाएगा। ये सभी, न्यायालय के आदेश के उपरान्त ही विमुक्त किये जायेंगे।

15. **झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की विद्यमान धारा–68 में संशोधन–** अधिनियम की धारा–68 में संशोधन निम्नवत किया जाता है, यथा–

"68. अपराधों का प्रशमन करने और अधिहरण योग्य सम्पत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति–

(1) आयुक्त, समाहर्त्ता या राज्य सरकार द्वारा इसके लिए शक्ति प्रदत्त उत्पाद पदाधिकारी जो उत्पाद अधीक्षक की पंक्ति के नीचे का न हो–

(क) धारा 89 के खण्ड (ञ) के अधीन बने किन्हीं नियमों द्वारा अधिरोपित किसी प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति से, जिसकी अनुज्ञप्ति, पारक या पास धारा–42 के खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन विखण्डित या निलम्बित किये जाने योग्य हो, या जिसपर इस अधिनियम की धारा–47, 49,52, 52–'क', 53, 55, 56, 58 और 61 से भिन्न किसी अन्य धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के करने का युक्तियुक्त रूप से संदेह किया जाता हो, यथास्थिति विखण्डित या निलंबित करने के बदले या ऐसे अपराध के प्रशमन स्वरूप, यथा विहित न्यूनतम रकम के अध्यधीन, कम गम्भीर अनियमितताओं के लिए 10 (दस) हजार रूपये तक एवं वैसी गम्भीर अनियमितताओं के लिए जिससे राजस्व की क्षति पहुँची हो, प्रथम बार में वास्तविक राजस्व क्षति का दो गुणा या पाँच लाख रूपये जो अधिक हो एवं द्वितीय बार उल्लंघन में वास्तविक राजस्व क्षति का चार गुणा एवं दस लाख रूपये जो अधिक हो, स्वीकार कर सकेगा। अधिनियम या नियम के प्रावधानों के संबंध में तीसरे बार उल्लंघन या अपराध के लिए जिससे राजस्व की क्षति हुई हो अनुज्ञप्ति, पारक एवं पास विखण्डित कर दी जाएगी।

(ख) किसी भी मामले में, जिसमें कोई सम्पत्ति धारा–66 अधीन अधिहरण योग्य समझी जाकर अभिगृहीत की गई हो, दण्डाधिकारी द्वारा धारा 67 (1) के तहत आदेश पारित किये जाने के पूर्व तक उतनी रकम के भुगतान पर जो समाहर्त्ता या वैसे उत्पाद पदाधिकारी द्वारा प्राक्कलित मूल्य से अधिक न हो, उस सम्पत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा।

परन्तु यह भी कि जहाँ इस प्रकार अभिग्रहीत की गई सम्पत्ति, इस अधिनियम के उल्लंघन में आयातित, निर्यातित, परवहित या विनिर्मित की गई मदिरा हो, तो वैसी मदिरा निर्मुक्त नहीं की जायेगी परन्तु इसका निष्पादन उस तरीके से किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाय।

(2) जब उपधारा (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित राशियों का शोधन किया जा चुका हो तो अभियुक्त व्यक्ति यदि वह हिरासत में हो तो रिहा कर दिया जायेगा, और मदिरा को छोड़कर अभिग्रहित की गई सम्पत्ति (यदि कोई हो) निर्मुक्त कर दी जायेगी और ऐसे व्यक्ति या ऐसी सम्पत्ति के विरूद्ध आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

16. **झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा–78 (अपराधों का अन्वेषण करने वाले उत्पाद पदाधिकारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य) के साथ नई उपधारा–78(5) का अन्तःस्थापन :–**

धारा 78(5). अधिकारी आदि को बाधा पहुँचाना या उस पर हमला करने के लिए दण्ड–जो कोई

(i) किसी उत्पाद पदाधिकारी या इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति, या

(ii) इत्तिला देने वाले किसी व्यक्ति या किसी ऐसे अधिकारी या व्यक्ति की, जबकि वह इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, सहायता करने वाले किसी अन्य व्यक्ति पर, हमला करेगा या उसे बाधा पहुंचाएगा, वह ऐसे कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

17. **झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा–79 (4) में संशोधन :–**

जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन बिना वारंट के, धारा 47 के अंतर्गत विधि विरूद्ध तरीके से संग्रहित की गई 20 (बीस) लीटर से कम मदिरा की जप्ति की स्थिति में, धारा 49, 52, 52–'क', 53, 55, 56 या धारा 58 को छोड़कर अधिनियम के अधीन किसी अन्य धारा के तहत दण्डनीय किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, और वह जमानत देने को तैयार हो, तो वह जमानत पर, अथवा उसे अपने स्वयं के बंध-पत्र पर, रिहा करने वाले अधिकारी के विवेकानुसार मुक्त किया जायेगा। धारा 47 के तहत अवैध मदिरा की जप्ति 20 (बीस) लीटर से कम होने पर भी आरोपी किसी भी अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा।

विधि विरूद्ध तरीके से संग्रहित 20 (बीस) लीटर से अधिक मदिरा की जप्ति की स्थिति में धारा–47, धारा–49, धारा–52, 52–'क', धारा–53, धारा–55, धारा–56 या धारा–58 के तहत अपराध गैर–जमानतीय होंगे और इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 के अधिनियम 2) के प्रावधान ऐसे अपराधों पर भी लागू होंगे।

***

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 का सृजन संविधान के गठन के पूर्व हुआ है। अद्यतन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों तथा अवैध मदिरा के बढ़ते दुरूपयोग को दृष्टिपथ रखते हुए राजस्व संवर्द्धन के उद्देश्य से झारखंड उत्पाद अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए भयोपरक दण्डों को उपबंध करना, उड़नदस्तों का गठन करना एवं गंभीर प्रकृति के अपराधों को गैर जमानतीय करना आवश्यक है। साथ ही राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संचालित उपक्रम, झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन की स्थिति में प्लेसमेंट एजेन्सी एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मियों द्वारा की जाने वाली संभावित अनियमितताओं के मद्देनजर केवल उन्हीं व्यक्तियों को आरोपित किया जाना आवश्यक है, जिनके द्वारा अनियमितता/अवैधानिक कार्य किया गया है। इस हेतु JSBCL प्रबंधन से जुड़े कर्मियों/पदाधिकारियों को सदभावपूर्ण कृत्य (Bonafide Act) के लिए विधि सम्मत संरक्षण दिया जाना समीचीन है।

अतः उक्त के आलोक में विद्यमान एवं अंगीकृत वर्त्तमान झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखंड अधिनियम, II, 1915) यथासंशोधित एवं झारखंड उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2015 (झारखंड अधिनियम, 15, 2015) में अपेक्षित आवश्यक संशोधन का प्रावधान करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा इसको अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

आलमगीर आलम
~~(जयनाथ महतो)~~
भार साधक सदस्य।

झा०रा०मु०राँची (विधि)8(A)--220--29-07-2022 ।